

10/10

टी.एन.ए. विभाग
अभियुक्त
N.C.B
लाखनऊ

प्रारूप-4 (धारा 82 सी.आर.पी.सी.)
(अभियुक्त की हारिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा)
न्यायालय सरतम अपर जिला न्यायाधीश, वाराणसी।
वाद संख्या- 34/2009

अरतसम्माननाम श्रीमती कुमारी कौशिक
धारा- 8/2/27A/29 NDBS

शाना- CBN
जिला- जालन्धर



नाम पता अभियुक्त श्रीम. सिंह उदक झाड़ आई 5/0251 राम सिंह

210- गान्धारी रोड वाराणसी - 221002 जिला- मन्सूरगढ़ (M.P.).

यह परिवाद किया गया है कि अभियुक्त श्रीम. सिंह उदक झाड़ 5/0251 राम सिंह
उपरोक्त वाद में अपराध किया है। जारी क्रिये गये किये गये गिरफ्तारी वारण्ट को यह
लिखकर तौटा दिया गया है कि अभियुक्त मिलता नहीं है।
अतः मुझे समाधानप्रद रूप से यह तश्रिह कर दिया गया है कि अभियुक्त वारण्ट की तागीला से
बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।
अतएव एतद्वारा उद्घोषणा की जाती है कि अभियुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह
रिवाजित अपराध का उत्तर देने के बारे में दिनांक 25.03.2020
को न्यायालय के समक्ष हजरिह हो।

L.C
10/10
25/11/09



अपर न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-
वाराणसी।

(19.02.20)